

सेवा में

श्री ज्योतिष नागपुरी,
उप निदेशक
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

श्री श्री माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विभाग 2 मन्दाय कम्प्लेक्स,
श्री श्री विहार, नई दिल्ली ।

विभाग 171 अनुभाग

कमन्स दिनांक 28 जनवरी, 1993

विषय:- छाया पब्लिक स्कूल मोदीनगर, नाबियाबाद को सीठवी/एलएच की नई दिल्ली के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र देने जाने के सम्बन्ध में ।

सर्वोच्च,

उपरोक्त विषय पर मुझे एक कठने का निदेश प्राप्त है कि छाया पब्लिक स्कूल, मोदीनगर, नाबियाबाद को सीठवी/एलएच की नई दिल्ली के सम्बन्ध में प्रदान की जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आमरित नहीं है :-

- 1- विद्यालय की संकीर्ण तोताहटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रमुख कमिति में शिक्षानिरीक्षक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघानित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संघीय द्वारा राज्य सरकार से जिले अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वेति शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा परिषद/जीसिफ कार हि इन्डियन स्कूल सर्वो निरीक्षक इन्फॉर्मेशन का प्रमाण दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परिषद परिवर्तों से सम्बन्ध प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता का राज्य सरकार से अनुदान स्थान प्राप्त हो जायेगी ।
- 5- संघीय शिक्षा एवं विनियमन कमिश्नरियों को राज्यीय सहायता प्राप्त विभिन्न संस्थाओं के कमिश्नरियों को अनुसूचित क्षेत्रानों तथा अन्य भा के कम क्षेत्रान तथा अन्य भातों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कमिश्नरियों की सेवा शर्तें स्थायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असाहायिक उपकार माध्यमिक विद्यालयों के कमिश्नरियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराने जायेंगे ।

For CHHAYA PUBLIC SCHOOL

Bhama
Manager

Bhulduyal

7- राज्य सरकार द्वारा तम्र तम्र एवं जो भी आदेश निर्गत
किये जायें, तैसा उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिजार्ड निर्धारित प्रश्न/वीडियोओं में रखा जायेगा

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पुनर्निर्देशन के बिना कोई
परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैसा के तिर अनिवार्य होना और
यदि किसी तम्र यह पाया जाता है कि तैसा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का
पालन नहीं किया जा रहा है तम्रका पालन करने में किसी प्रकार की युक्त या
सिक्तता भरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुपत्ति प्रमाण
पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

श्री. राजीव
उप. शिक्षक ।

सं. 3717111/15-7-1993 तदतिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित शी सुसार्थ स्व आवश्यक कार्यवाही के

प्रेषित है :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- सहायक उप शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, नाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रिंसिपल, छाया पब्लिक स्कूल मोदीनगर, नाजियाबाद ।

अज्ञात है,

Principal
Principal
CHHAYA PUBLIC SCHOOL
MODINAGAR

Signature
श्री. राजीव
उप. शिक्षक ।